

बाल विवाह मुक्त भारत CHILD MARRIAGE FREE INDIA

सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत | SAFE CHILDHOOD, SAFE INDIA

About your Organization

Grameen Parampara Vikas Sansthan, Chitrakoot is dedicated to the development of the deprived people (backward and poor rural women, people with disabilities, child labour, victims of trafficking and violence) of Uttar Pradesh. The organization is working on the following issue of Child Marriage, Child Trafficking, Child Labour and Child Sexual Abuse. The organization participated and organized Child Marriage Free India Campaign in **Banda district of Uttar Pradesh covering over 4 Block and 50 Gram Panchayats under the project.**

The Campaign Activities included:

1. 16 October 2023 - Child Marriage Free India Campaign Event – The campaign event was conducted in 110 Schools & Inter Colleges, 50 villages in Banda & Chitrakoot District in collaboration all line departments (DRDO, DWO, DMHO, DEO, DPO, Police, CWC, DCPU, Civil Judge, teachers, hostels, institutions, and community) with notifications issued by DRDO, SP, CWC, DCPU departments. The campaign was organized in Banda & Chitrakoot district, 2 municipalities and 50 villages with an outreach of 52235 members.

Campaign highlights: Candle March Rally & taken pledge to make Child Marriage Free India in villages & some colleges and hostels. Poster release and distribution, Book Release of “When Children have Children.”

Campaign Photos:



Campaign Media Coverage:

पर शास्त्र का इस्तेमाल करालया था। गालाकांड का घटना का देख कर दर्ज किया है। चित्रकूटधाम मण्डल में होना है। यह

स्वदेश 16 अक्टूबर

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का हुआ आयोजन

बांदा। पूरे देश में चल रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 16 अक्टूबर को मनाए गए बाल विवाह मुक्त भारत दिवस के मौके पर गैर सरकारी संगठन ग्रामीण परम्परा विकास संस्थान ने बांदा व चित्रकूट जिले के स्कूलों, ग्राम पंचायतों में 100 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों 36794 बच्चों, महिलाओं, शिक्षकों, कर्मचारियों व ग्राम स्तर पर हितधारकों और आम लोगों ने शपथ ली कि वे न तो बाल विवाह का समर्थन करेंगे और न इसे बर्दाश्त करेंगे। बड़े पैमाने पर हुए इन कार्यक्रमों में बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसे सफल बनाने में योगदान दिया।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएचएस-5) 2019-21 के आँकड़ों के अनुसार पूरे देश में 20 से 24 आयुवर्ग के बीच की 23-3 प्रतिशत युवतियाँ

जमुना देवी ने कहा कि उनका विवाह 14 वर्ष की उम्र में हो गया था। तब वह हाईस्कूल की पढाई कर रही थी। विवाह के बाद उनकी पढाई रुक गई। बाल विवाह के कारण उनके सपने पूरी तरह से बिखर गए और उन्हें खेलने-कूदने की उम्र में जीवन का संघर्ष झेलना पड़ा। जमुना जी ने शपथ लिया कि वह अपने बच्चों का बाल विवाह नहीं करेंगी। अपने समाज में बाल विवाह उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयास करती रहेंगी। ग्रामीण परम्परा विकास संस्थान चित्रकूट के निदेशक श्रवण कुमार ने बताया कि कैलाश सत्याधीन चिल्ड्रेन फाउंडेशन आफ अमेरिका के साथ मिलकर आज बांदा व चित्रकूट जिले के स्कूलों व ग्राम पंचायतों में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों, महिलाओं, शिक्षकों, कर्मचारियों व ग्राम स्तर पर हितधारकों और आम लोगों ने बाल विवाह का समर्थन न करने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि बाल विवाह को अपराध है जिसने सदियों से हमारे समाज को जकड़ रखा है। लेकिन नागरिक

काम का विवाह 18 वर्ष की होने से पहले ही हो गया था। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान देश के 300 से भी ज्यादा जिलों में चलाया जा रहा है। भारत से 2030 तक बाल विवाह के समग्र खतरे के लक्ष्य के साथ पूरी तरह से महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान से देश के 160 गैर सरकारी संगठन जुड़े हुए हैं। 16 अक्टूबर को इस अभियान के एक साल पूरे हुए। इस असें में पूरे देश में हजारों बाल विवाह रुकवाए गए। लाखों लोगों ने अपने गांवों और बस्तियों में बाल विवाह का चलन खत्म करने की शपथ ली। गांवों में पूरे दिन इस अभियान के समर्थन में उत्तरे लोगों की चहल पहल रही। इस दौरान स्कूलों में रैली, शपथ व जागरूकता कार्यक्रम पंचायत स्तर पर शपथ व जागरूकता जैसे तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाल विवाह की पीड़ा से गुजरने के बाद अब इसके खतरे के लिए अलख जगा रही चित्रकूट जिले की

जिसका उद्घाटन मुम्बई के सुप्रासद विभाग का उद्घाटन किया। डा. न्यूरोलोजी, न्यूरो सर्जरी, मिलने लगेगी।

आज दैनिक 16 अक्टूबर 2023

बाल विवाह का समर्थन न करने की ली शपथ

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित हुये कार्यक्रम

(आज समाचार सेवा)

बांदा, 16 अक्टूबर। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत सोमवार को बांदा व चित्रकूट जिले के स्कूलों व ग्राम पंचायतों में सौ से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में बच्चों, महिलाओं, शिक्षकों, कर्मचारियों व ग्राम स्तर पर हितधारकों और आम लोगों ने शपथ ली कि वे न तो बाल विवाह का समर्थन करेंगे और न इसे बर्दाश्त करेंगे।

ग्रामीण परम्परा विकास संस्थान चित्रकूट के निदेशक श्रवण कुमार ने बताया कि कैलाश सत्याधीन चिल्ड्रेन फाउंडेशन आफ अमेरिका के साथ मिलकर आज बांदा व चित्रकूट जिले के स्कूलों व ग्राम पंचायतों में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों, महिलाओं, शिक्षकों, कर्मचारियों व ग्राम स्तर पर हितधारकों और आम लोगों ने बाल विवाह का समर्थन न करने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि बाल विवाह को अपराध है जिसने सदियों से हमारे समाज को जकड़ रखा है। लेकिन नागरिक

समाज और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने के प्रति दिखाई गयी प्रतिबद्धता और प्रयास जल्द ही एक ऐसे माहौल और तंत्र का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जहाँ बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित और निरापद वातावरण होगा। इन दोनों द्वारा साथ मिलकर उठाये गये कदमों और लागू किये गये कानूनों के साथ समाज व समुदाय की भागीदारी 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत सुनिश्चित करेगी।

महाराजा अग्रसेन जयंती पर प्रतियोगितायें आयोजित

बांदा, 16 अक्टूबर। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर हवन-पूजन के उपरान्त बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम, महिलाओं की प्रतियोगितायें, भाषण प्रतियोगिता, फैसल ड्रेस प्रतियोगिता, बेंगलूर प्रतियोगिता, तू-तू में-में प्रतियोगिता आदि प्रतियोगितायें हर्षोल्लास के साथ सयान हुई। कार्यक्रम में सट्टे विभागीय प्रकाश दिवेदी, नया चंपारन श्रौतिक मालती बासु, सभासद राकेश गुप्ता, कृषि विश्वविद्यालय प्रो. श्रौतिक मोनिका जैन, जिला वनाधिकारी संजय अग्रवाल आदि विशिष्टजन उपस्थित रहे। अध्यक्ष अनिल अग्रवाल एवं महामंत्री सुनील अग्रवाल ने उपस्थित विशिष्टजनों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में राजेश अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, केदार अग्रवाल, रिचा अग्रवाल, कल्पना अग्रवाल, खांडा अग्रवाल, सविता अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, ज्ञान अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सम्पन्न रावत ने किया।

छाया:आज

दिनों बांदा व 18 से ग्राम कोले के पद कुचरुकर अतिरिक्त के असेन

आज दैनिक 18 अक्टूबर 2023

बाल विवाह के विरोध में निकाला कैडल मार्च

बाल विवाह में सम्मिलित न होने की ली शपथ

(आज समाचार सेवा)

बांदा, 17 अक्टूबर। ग्रामीण परम्परा विकास संस्थान चित्रकूट व कैलाश सत्याधीन चिल्ड्रेन फाउंडेशन के सहयोग से जनपद को बाल विवाह से मुक्त करने हेतु महिलाओं के नेतृत्व में कैडल मार्च निकालकर बाल विवाह का विरोध किया गया और लोगों से बाल विवाह न करने की अपील की गयी। बांदा व चित्रकूट जिले के ग्राम पंचायतों में 5 हजार से अधिक लोगों ने कैडल मार्च निकाला। संस्था के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बाल कल्याण समिति के सदस्य शम्भू के नेतृत्व में लोगों ने मोमबत्ती जलाकर बाल विवाह का विरोध प्रदर्शन किया और बाल विवाह में किसी भी प्रकार से सम्मिलित न होने की शपथ ली। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में परिवोजना समन्वयक विनोद कुमार, काउंसलर योगेश प्रताप सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानेश्वर प्रसाद, शिवकुमार, संतोष बाबू, ललिता देवी, धर्मेश कुमार, संतोष कुमार-वर्मा, रामनरेश यादव, राजाराम, शैलमनल आदि ने सहयोग किया।

बाल विवाह के खिलाफ कैडल मार्च निकालती महिलायें।

25 तक करें ऑनलाइन आवेदन

बांदा, 17 अक्टूबर। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. रामजीदर ने बताया कि राष्ट्रीय गोखल मिशन अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान का अच्छादात बढ़ाने हेतु जनपद में नवीन मशीन की स्थापना की जा रही है। परिषद मुख्यालय द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल में मशीन चयन की शरदहों एवं समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित किये जाते हैं। ऑनलाइन पोर्टल का यूआरएल जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक है।

बाल विवाह मुक्तभारत के लिए हुआ जागरूकता कार्यक्रम

कार्यक्रम को संबोधित करते एसडीएम दैनिक कानपुर उजाला

अतरौली तहसील सभागार में बुधवार को बाल विवाह मुक्त भारत के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें उपजिलाधिकारी रावेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों को बाल विवाह न करने की शपथ भी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया की बाल विवाह करना कानूनी जुर्म है। इसमें शामिल हर व्यक्ति को सजा देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया की बाल श्रम, बाल तस्करी, अतरौली तहसील सभागार में बुधवार को बाल विवाह मुक्त भारत के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें उपजिलाधिकारी रावेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों को बाल विवाह न करने की शपथ भी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया की बाल विवाह करना कानूनी जुर्म है। इसमें शामिल हर व्यक्ति को सजा देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया की बाल श्रम, बाल तस्करी, कानूनन जुर्म है। साथ ही साथ समाज के लिए भी सातक है। उन्होंने बताया की इस समय कई संस्थाएँ इस क्षेत्र में काम भी कर रही हैं। गांवों गांवों में चौपाल लगा कर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया की अगर कहीं भी ऐसी चीजें सामने आती हैं तो तत्काल पुलिस को सूचना देकर उसको रोका जा सकता है। इस दौरान तहसीलदार राम चंद्र, राकेश गौतम मेजर, अभियान संस्था के अशोक श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

लॉ इन आर्डर से खिलवाड करने वाले मौजूद रहे।

Background

Child marriage is not just an age-old social evil, but also a heinous crime that robs children of their childhood. Child marriage is a “crime against children” that violates basic human rights, minor girls are forced to marry and live a life of mental trauma, physical and biological stress, domestic violence including limited access to education and increased vulnerability to domestic violence. The consequences of child marriage are severe and extensive. Some of the specific consequences include: early pregnancies leading to complications and higher rate of maternal mortality and death of infants, malnutrition among both the infant and the mother, increased vulnerability to reproductive health, disruption in girl’s education and thereby reduction in opportunities of her personal and professional development, domestic violence and abuse, limited decision making powers in the household, and mental health issues.

India’s Census 2011 revealed 12 million children were married before attaining the legal age, of which 5.2 million were girls. Globally, child marriage is identified as a crime and a menace that needs to be eliminated. It finds space in the UN Sustainable Development Goals, under target 5.3 of Goal 5 that states elimination of all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation by 2025.

The latest National Family Health Survey (2019-21) shows that although there is a drop in the overall rate of child marriages, from 26.8% in the National Family Health Survey (NFHS 4) to 23.3% in NFHS-5, it is still high despite laws, programmes and schemes in place to address the issue.

Child Marriage Free India Campaign

Understanding the seriousness of the issue, the Hon'ble Supreme Court of India in W.P. Civil 382 of 2013 pronounced that the sexual intercourse committed by the husband upon his wife being under the age of 18 years with or without her consent can be constituted as rape. To address this, the most definitive and audacious commitment to end child marriage was made with the launch of [Child Marriage Free India campaign](#).

[Child Marriage Free India \(CMFI\)](#) is a nationwide campaign led by women leaders and a coalition of more than 160 NGOs spanning more than 300 districts working to eliminate child marriage in India. CMFI is working to attain the tipping point of child marriage, after which the society does not accept this evil practice and that will happen when the prevalence of child marriage is brought down to 5.5% by 2030, from the current national prevalence rate of 23.3%. This is being done by initially targeting 257 high-prevalence districts and gradually focusing on all the districts of the country.

Child marriage results in child rape, resulting in child pregnancy, and in a large number of cases, may lead to child deaths. For decades, we have been losing generations of our children to child marriage. The [Child Marriage Free India campaign](#) has received extended support from various Departments and Institutions of over 28 States. So far, across India more than 5 crore people have taken the pledge to end child marriage over the last one year through the efforts of the [Child Marriage Free India Campaign](#).

Know more about the [Child Marriage Free India \(CMFI\) Campaign](#): <https://www.childmarriagefreeindia.org/>



THE GOAL

Reduction of Child Marriage to 5.5% by 2030

as proposed in WHEN CHILDREN HAVE CHILDREN - TIPPING POINT TO END CHILD MARRIAGE (Ribhu, 2023)

DEMANDS OF THE CAMPAIGN



Ensure **access to free and quality education** for all children till class 12 (or 18 years of age, whichever is later)



Dedicated **budgetary allocation** for schemes and infrastructure for education and vocational training till class 12



Enable **real-time attendance data analysis** and intervention when irregularities occur



Effective **implementation and enforcement of laws** against child marriage for all sections of society

The Way Forward: PICKET Strategy to End Child Marriage

Addressing the issue of child marriage, requires a comprehensive and coordinated approach of different government departments, institutions, statutory bodies, and civil society organisations.

For India as a nation to end child marriage by 2030, the PICKET Strategy as proposed in *WHEN CHILDREN HAVE CHILDREN - TIPPING POINT TO END CHILD MARRIAGE* (Ribhu, 2023)



Policy for prevention, protection, prosecution: It is important to ensure parity in the enforcement of laws, and special laws must prevail over customary or personal laws.

The effective implementation and enforcement of existing laws and policies that prohibit child marriage along with swift and decisive justice delivery mechanism are most important steps in checking the prevalence of this crime against children. When prevention of crime is incorporated as a policy, it ensures that the state machinery as well as citizens feel responsible and accountable to prevent child marriage.



Investment in infrastructure, incentivisation and institutions: Investing in child protection institutions, education, healthcare, justice delivery, and rehabilitation framework builds layers which work to prevent and protect children from abuse and exploitation apart from providing legal and mental health support for girls in child marriages.

Infrastructure to support girls at imminent risks of marriages, like institutional alternative care and residential educational facilities are urgently needed to stop their marriages, abuse and exploitation, and provide them with resilient alternatives.

Incentives in the form of conditional cash transfers have shown impact in communities to keep girls in schools delaying marriage decisions. Universalization of these to at-risk families has the potential to stop child marriages and trafficking and abuse of girls for both labour and sexual exploitation.



Convergence of departments, governments and stakeholders in the community: All schemes and interventions geared towards the protection, prevention, education, health and awareness of children and adults affected by child marriage need to operate in sync with each other. Child participation and empowerment is at the core of such convergence aimed at child centric community development.



Knowledge which equips all the stakeholders to combat child marriage: Enhancing knowledge empowers children, especially boys, to say no to child marriage. When a young man refuses to marry a minor girl, he breaks the cycle of generations of conditioning. It also gives agency to girls to raise their voice and complain when they are forced for marriage against their will or in violation of law. When children, parents, community members and stakeholders participate in decision making equipped with correct and latest knowledge, it can lead to collective action to prevent child marriage.



Ecosystem where child marriage does not thrive: Central to the PICKET strategy is an ecosystem where child marriage is non-existent. In a society where child marriage is pervasive, multi-pronged intervention at all levels is required. To change the societal perception, behaviour and acceptance towards child marriage, the response at scale requires an ecosystem level retaliation.



Technology for monitoring and deterrence to combat child marriage: Enabling real-time attendance data analysis will help reduce child trafficking, child marriage and drop-out rate in schools. Different states are already using technology for awareness campaigns, supporting and monitoring programme interventions, augmenting education and skills outreach. The use of machine learning and artificial intelligence needs explorations in support of child protection and creating a safe and harm-free ecosystem for children.

Tipping Point to end child marriage

WHEN CHILDREN HAVE CHILDREN - TIPPING POINT TO END CHILD MARRIAGE Book authored by Mr Bhuwan Ribhu is an action plan to eliminate child marriage in